जनपद न्यायालय, रायबरेली।

नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद न्यायालय रायबरेली के निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी वस्तुओं 12 लकड़ी की अलमारी, 10 मेज लकड़ी, 253 कुर्सी लकड़ी की, 2 सोफा सेट, 3 लकड़ी बाक्स, 5 टेबल टाप, 5 दरवाजा लकडी, 6 केतली प्लास्टिक, 1 केतली स्टील, 10 टार्च स्टील एवं प्लास्टिक, 7 ट्रे प्लास्टिक, 7 घड़ी, 6 टेलीफोन सेट प्लास्टिक, 2 स्टील ग्लास, 10 ताला, 1 गाड़ी का हार्न, 7 इमरजेंसी लाइट, 1 हाइलोजन, 1 थाली, 4 चेन्ज ओवर 7 स्टूल लकड़ी, 1 व्हील चेयर, 12 प्लास्टिक टंकी (500 ली०) , 5 साइकिल, 124 सीलिंग पंखा, 15 गैस लाइट (पैट्रोमैक्स), 36 टाइपराइटर,3 टाइपराइटर प्लास्टिक, 3 फैक्स मशीन, 15 गैस बत्ती (तेल), 10 बैटरी बत्ती, 2 फोटोस्टेट मशीन, 2 वैक्यूम क्लीनर 8 टेबुल पंखा, 3 एक्जास्ट पंखा, 6 कूलर पंखा, 12 हीटर, 4 स्टैण्ड पंखा, 43 बिजली बोर्ड, 24 लोहे की अलमारी, 8 टीन चादर, 10 कूलर बाडी. 3 वाटर कूलर, 1 लोहे की डस्टबिन, 2 रेगुलेटर आदि वस्तुओ का मूल्यांकन 2,54,420 रू० है। मूल्यांकन आख्या अनुसार 6 अदद जनरेटरों की रू 36.50 प्रति किलोग्राम की दर से (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त) की नीलामी कराया जाना है-

1. इच्छुक क्रेता दर्शित निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य ₹ 2,54,420 रु० की दर तथा 6 अदद जनरेटरों की रू 36.50 प्रति किलोग्राम की दर से (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त) से अधिकतम बोली बोलना चाहते हो तो वे दिनांक 19.12.2025 समय दोपहर 1:30 PM तक केंद्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय रायबरेली में 50000/- हजार की जमानत धनराशि जमा कर बोली में भाग ले सकते है। बोली सम्पन्न होने के उपरान्त सफल बोलीकर्ता को छोडकर शेष प्रतिभागियो की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।

2. निविदा के लिए आवेदन फार्म मु० 1000/- रूपये का भुगतान कर नजारत कार्यालय से दिनांक 19-12-2025 समय दोपहर 12:00 PM तक प्राप्त किये जा सकते है।

3. नीलामी उच्चतम बोली बोलने वाले को दी जायेगी। प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिये ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगाई गयी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिये तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक की उसने ऐसे

15.12.25

6. जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म, जिनके पास होगा, उन्ही की जमानत धनराशि

व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित है, लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेता।

4. जहाँ जैसे है इस शर्त पर निष्प्रयोज्य, अनुउपयोगी उपरोक्त वस्तुओं की नीलामी की जायेगी।

5. नीलामी के पूर्व क्रेता किसी भी कार्य दिवस में केंद्रीय नजारत अनुभाग जजशिप रायबरेली में केन्द्रीय नाजिर (मो० न० 8052388263) से संपर्क कर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी उपरोक्त वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं।

6. जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म, जिनके पास होगा, उन्ही की जमानत धनराशि जमा की जायेगी तथा वही बोली में भाग ले सकेगा।

7. बोली के अंतिम होते ही मूल्य का 40% अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नकद जमा करा लिया जायेगा तथा निष्प्रयोज्य, अनुउपयोगी उपरोक्त वस्तुओं को ले जाने से पूर्व सम्पूर्ण धनराशि जीएसटी अतिरिक्त नियमानुसार जमा कराना होगा। इस हेतु चेक, बैंक ड्राफ्ट एवं हुंडी स्वीकार नहीं होगी। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा उससे पूर्व उच्चतम बोली लगाने वाले को निष्प्रयोज्य, अनुउपयोगी उपरोक्त वस्तुओ को बेंच दिया जायेगा, अग्रिम धनराशि जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

8. यदि सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति निर्धारित समय के अंतर्गत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम धनराशि को जप्त कर लिया जायेगा साथ ही उक्त निष्प्रयोज्य, अनउपयोगी उपरोक्त वस्तुओं को अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा। सफल बोली को स्वीकार किये जाने की दशा में बोली लगाने वाला नीलामी परिसर के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व_पर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी उपरोक्त वस्तुओं की अभिरक्षा की उचित व्यवस्था करेगा।

9. पूर्ण भुगतान के बाद केंद्रीय नाजिर की उपस्थिति में उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी उपरोक्त वस्तुओं को उठा कर ले जाना होगा।

10. पूर्ण भुगतान हो जाने के 7 दिनों के अंदर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी उपरोक्त वस्तुओं को उठा कर ले जाना आवश्यक होगा अन्यथा 2% प्रतिदिन के दर से विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त भार निर्धारित किया जायेगा। चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो, क्रेता की होगी।

15.12.25

11. अधिकतम धनराशि की बोली कर्ता को नीलामी के उपरांत नियमानुसार बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, रायबरेली के पास सुरक्षित है।

12. नीलामी की कार्यवाही जनपद न्यायालय, रायबरेली के मीटिंग हॉल में दिनांक 22.12.2025 को साँय 4:30 PM बजे संपादित की जायेगी।

Ram Net 15-12-25

(राम नेत)

अध्यक्ष

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश,पाक्सो प्रथम,

रायबरेली।

इस नोटिस की एक एक प्रति नोटिस बोर्ड, जनपद एवं सत्र न्यायालय,रायबरेली, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट रायबरेली, कार्यालय पुलिस अधीक्षक रायबरेली व अन्य सार्वजनिक स्थानो पर चस्पा की जाये उक्त नीलामी की सूचना मा० उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर व जनपद न्यायालय रायबरेली की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाये।

Ram Net 15-12-25

(राम नेत)

अध्यक्ष

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश,पाक्सो प्रथम,

रायबरेली।